कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–66/2012– /कृ0, पटना, दिनांक मई,2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एफ0 एम0 सी0 इंडिया प्रा0 लि0,
द्वारा– हरनाथका कारपोरेशन, 303 B,
सुकृति कम्पलेक्स, एस0 पी0 वर्मा रोड, पटना–1,

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 58–59 दिनांक 08.10.2012 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों एव सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वनिर्मित कीटनाशियों की बिक्री/भण्डारण हेतु पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या–58–59 दिनांक 08.10.2012 का विनिर्माण एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Carbofuran 3% G	6	Carbosulfan 25% DS
2	Carbosulfan 25% EC	7	Bifenthrin 8% SC
3	Bifenthrin 10% EC	8	Bifenthrin 10% WP
4	Bifenthrin 2.5 % EC	9	Carbosulfan 6% G
5	Carfentazone ethyl 40% DF		

2–उपरोक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगाः–मेसर्स एफ0 एम0 सी0 इंडिया प्रा0 लि0, H/O अरवीन्द कुमार, S/O रामवृक्ष प्रसाद यादव, बड़ी पहाड़ी, थाना–अगमकुआँ, पटना–07

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4–अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0–58–59 दिनांक 08.10.2012 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\Pesticide 2015-16\Pesticide Renewal letter.docx--एकवबग

ज्ञापांक 2770 /कृ0, पटना, दिनांक 12 जून मई, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/06/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।